नम्बर व अहकाम हुक्म की ता... में जारी हुए

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रायपुर जिला भीलवाड़ा राज.

राजस्व लोक अदालत-न्याय आपके द्वार 2018

पीठासीन अधिकारीः–राजलक्ष्मी गहलोत, आर.ए.एस.
मुकदमा नम्बरः–129/2017 प्रार्थना पत्र

उनवान

1–सत्यप्रकाश आत्मज रतनलाल डीडवानिया निवासी भीलवडा जिला भीलवाड़ा (राज0)

प्रार्थी

बनाम

1–मोहनलाल आत्मज डालचन्द जाट निवासी खाननिया तहसील रायपुर जिला भीलवाडा राज.
2–राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाडा राज.

विपक्षी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 क आर0टी0एक्ट.

उपस्थित
1. हरीश टेलर
2. पर्वत सिंह

अधिवक्ता प्रार्थी
अधिवक्ता विपक्षी

निर्णय

दिनांक 26.05.2018

पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार/केम्प कोर्ट पालरा मे पेश हुई। प्रकरण का सक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि ग्राम खाननिया पटवार हल्का पालरा तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी में प्रार्थी के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे कास्त की आराजी संख्या 525 रकबा 0.87 है0, 526 रकबा 0.86 है0, 536 रकबा 1.08 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 2.81 है0 भूमि एक ही चक के रूप में स्थित है। प्रमाण में नकल जमाबन्दी संवत् 2071 से 2074 तक मय नक्शा ट्रैस के साथ प्रस्तुत है। प्रार्थी उक्त वर्णित अपनी आराजियात में संज, बैल, ट्रैक्टर, गाडी, पैदल आदि सहित ग्राम पालरा से मौखुन्दा जाने वाली आम सडक से होकर फिर आगे सडक से पूर्वी दिशा मे ग्रेवल रास्ते सडक की बिलानाम आराजी संख्या 530 से होकर फिर विपक्षी संख्या एक की आराजी संख्या 529 में पूर्वी दिशा की तरफ स्थित रास्ते से होकर फिर आगे बिलानाम आराजी संख्या 528 व फिर आराजी संख्या 527 की पूर्वी पाली पर स्थित रास्ते से होकर अपनी आराजियात में प्रवेश कर आवागमन करते हैं। उक्त रास्ता करीब 30 फीट चौडाई में स्थित है। उक्त वर्णित रास्ते के अलावा प्रार्थी के खेतों में आवागमन करने का अन्य कोई रास्ता मौजुद नहीं है। एक मात्र यही रास्ता है जिससे प्रार्थी अपनी आराजियात में संज, बैल, गाडी, ट्रेक्टर, पैदल आदि सहित आवागमन करता है। उक्त रास्ता प्रार्थी के खेतों में जाने का सुविधा जनक उपभोग का रास्ता नहीं है। तथा प्रार्थी की आराजियात में आवागमन का वैकल्पिक रूप से और कोई साधन नहीं है। और प्रार्थी को अपने खेतों में आवागमन करने के लिए इसी रास्ते की अत्याधिक आवश्यकता है। जिससे उक्त रास्ते को बिलानाम किस्म रास्ता दर्ज करवाया जाना नितान्त आवश्यक हो गया हे। विपक्षी संख्या एक उसकी आराजी संख्या 529 में सहमति से रास्ता नही देना चाह रहा है और दिनांक 15.12.2017 को विपक्षी संख्या एक ने धमकी दी कि में उक्त रास्ते को बंद करूंगा, प्रार्थी ने उसे यह भी कहा कि आप रास्ते की जो भूमि काम में आ रही है उसकी डी.एल.सी. के अनुसार डबल राशि ले लो और रास्ता बन्द मत करना तो विपक्षी संख्या एक ने कहा कि राजस्व रेकार्ड में रास्ता मेरी भूमि में दर्ज नहीं है इसलिए में तो रास्ता बन्द ही करूंगा। जिससे प्रार्थी को उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने हेतु विवश होना पडा है। विपक्षी संख्या एक की आराजी संख्या 529 व बिलानाम आराजी संख्या 528, 527 व 530 में निकलने वाले रास्ते के रूप में जो भूमि काम में आ रही है और उसे किस्म रास्ता दर्ज करने पर प्रार्थी नियमानुसार व आदेशानुसार राशि जमा कराने को तैयार है। इस कारण प्रार्थी उक्त रास्ता राजस्व रेकार्ड में दर्ज करवाने का अधिकारी है। इसी रास्ते से होकर प्रार्थी की भूमि के पास स्थित अन्य लोग कैलाश आत्मज धुकल मीणा आदि भी उनकी भुमि में आवागमन करते रहे हैं। बिनाय प्रार्थनापत्र दिनांक 15.12.2017 से उत्पन्न होकर निरंतर जारी है और यह प्रार्थनापत्र अन्दर अवधि सादर प्रस्तुत है।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के आधार पर प्रकरण दिनांक 21.12.2017 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को नोटिस जारी किये गये। नोटिस की पालना मे विपक्षी संख्या एक की ओर से

...तसिंह चुण्डावत एडवोकेट का अधिकार पत्र पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वारा में भी नोटिस जारी किये गये। उभय पक्ष के अधिवक्ता उपस्थित हैं। विपक्षी संख्या एक द्वारा जवाब पेश नहीं अतः जवाब बन्द किया गया। तहसीलदार रायपुर द्वारा मौका रिपोर्ट पेश की गई जो शामिल पत्रावली की गई।

मौका रिपोर्ट के अनुसार ग्राम खाननिया की आराजी नम्बर 525 रकबा 0.87, 526 रकबा 0.86, 536 रकबा 1.08 है0 भूमि सत्यनारायण पिता रतनलाल डीडवानिया साकिन भीलवाडा के नाम दर्ज रिकार्ड है। जिसमें आने जाने हेतु बिलानाम आराजी नम्बर 530, 533 रास्ता व प्रार्थी की भूमि के मध्य आराजी नम्बर 527, 528 बिलानाम व आराजी नम्बर 529 खातेदारी है। जिसमें रास्ता दर्ज नहीं है। उपरोक्त आराजी में आने जाने हेतु रास्ता मौके पर खुला है। उपरोक्त आराजी के मौके पर उक्त विवादित रास्ते के अलावा कोई अन्य रास्ता नहीं है। वर्तमान में उक्त आराजी पर आराजी नम्बर 527, 528 व 529 से होकर प्रस्तावित रास्ते से आ जा रहे हैं। रास्ता चालू है। प्रस्तावित रास्ते में खातेदार मोहलाल पिता डालचन्द जाट निवासी खाननिया की भूमि आराजी नम्बर 529 रकबा 0.40 है0 में से 396 वर्गमीटर व बिलानाम आराजी नम्बर 527 रकबा 0.08 है0 में से रकबा 126 वर्गमीटर आराजी नम्बर 528 रकबा 0.53 है0 में से रकबा 513 वर्गमीटर रास्ता हेतु प्रस्तावित किया गया। उक्त प्रस्तावित खसरा नम्बरान की वर्तमान प्रचालित बाजार दर डी.एल.सी. 36960/— रूपये प्रति बीघा है। प्रस्तावित रास्ता लाल स्याही से नक्शा में दर्शाया गया है। इसके अलावा अन्य रास्ता नहीं है। मौके पर अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है। प्रस्तावित रास्ते में जाने वाली भूमि का विवरण इस प्रकार है। मोहनलाल पिता डालचन्द जाट निवासी खाननिया खसरा नम्बर 529 रकबा 396 वर्गमीटर राशि 13546/—रूपये बिलानाम सरकार आराजी नम्बर 527 रकबा 126 वर्गमीटर व आराजी नम्बर 528 रकबा 513 वर्गमीटर किता दो रकबा 639 वर्गमीटर राशि 21858/—रूपये जमा कराने पर रास्ता दर्ज किया जाना उचित होना बताया गया है।

मैने पत्रावली का अवलोकन किया तथा पत्रावली मे प्रस्तुत प्रार्थी एवं विपक्षीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज का मनन करने एवं उभय पक्षों की बहस सुनी गई तथा बहस पर मनन किया गया। ग्राम खाननिया पटवार हल्का पालरा में मोहनलाल पिता डालचन्द जाट निवासी खाननिया खसरा नम्बर 529 रकबा 396 वर्गमीटर राशि 13546/—रूपये बतौर मुआवजा विपक्षी को भुगतान करने एवं बिलानाम सरकार आराजी नम्बर 527 रकबा 126 वर्गमीटर व आराजी नम्बर 528 रकबा 513 वर्गमीटर किता दो रकबा 639 वर्गमीटर राशि 21858/—रूपये राज्य कोष में जमा कराने पर रास्ता दर्ज किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी अपने प्रार्थना पत्र को सिद्ध कराने मे सफल रहने के कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित समझता हुं। अतः

आदेश

ग्राम खाननिया पटवार हल्का पालरा में प्रार्थी सत्यप्रकाश द्वारा विपक्षी मोहनलाल पिता डालचन्द जाट निवासी खाननिया खसरा नम्बर 529 रकबा 396 वर्गमीटर राशि 13546/—रूपये बतौर मुआवजा भुगतान करने एवं बिलानाम सरकार आराजी नम्बर 527 रकबा 126 वर्गमीटर व आराजी नम्बर 528 रकबा 513 वर्गमीटर किता दो रकबा 639 वर्गमीटर राशि 21858/—रूपये राज्य कोष में जमा कराने पर रास्ता राजस्व रेकार्ड में बिलानाम गेमु0 रास्ता दर्ज करने का आदेश तहसीलदार रायपुर को दिया जाता है।

राजलक्ष्मी गहलोत
आर.ए.एस.
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

निर्णय आज दिनांक 26.05.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

संख्या 530 से होकर फिर विपक्षी संख्या एक की आराजी
संख्या 529 में पूर्वी दिशा की तरफ स्थित रास्ते से